

आदेश - पत्रक

433 / 13-14

अनुसूचित 14-फारम नं० 562

(देखें अधिलेख, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ता० से
 जिला **दा० खा० वा० सं०**

आदेश की क्र० सं० और ता०	आदेश और पर्याधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

श्री **श्रीजीलर देवी**

पत्न्य **W/o म० सु० कुमा** ग्राम **र० १६५२**
 थाना **खोखर** जिला **५२२२**
 पं० घाला नं० **५२६** दिनांक **२९/१/१३**

जो आधार पर विभाजित जमीन पर दाखिल खरिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।

नौजा का नाम	नौजी नं०	खाता नं०	खसरा	एराजी
खोखर		५६५	५३६	१००५८
२)				

मूल आवेदन पत्र इत्यादि कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन हेतु दे दें। महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की मांग कर। अधिलेख दिनांक **०९/०५/१३** को उपस्थित करें।

महाल अधिकारी अंचल अधिकारी

महाल पर नामित नोटिस प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उन लोगों ने आवेदन के नाम दाखिल खरिज करने की अनुरासा किये हैं। फलतः उनके अनुरासा को आधार पर दाखिल खरिज किया जाता है शर्त पत्र निम्नतः
 दिनांक **२९/१/१३**
 दिनांक **२९/१/१३**

प्रमाणित प्रतिलिपि निवेदन

दिनांक २०/०५/१३